

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर**

पृष्ठांकन क्र०— 1284 / एक-11-1 / 80

नरसिंहपुर, दिनांक— 08.05.2026

**प्रतिलिपि :-**

- 1— रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 2— विशेष न्यायाधीश, (अ.जा.ज.जा.अत्या.निवारण अधिनियम), नरसिंहपुर
- 3— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर  
/ गाडरवारा
- 4— प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव
- 5— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिरिक्त, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर  
/ गाडरवारा
- 6— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम/अति./व्यव० न्याया० कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर  
/ गाडरवारा/गोटेगांव/तेन्दूखेड़ा
- 7— जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर
- 8— पुलिस अधीक्षक/उपसंचालक, अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर
- 9— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव
- 10— प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी नरसिंहपुर
- 11— प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर
- 12— कार्यालय मोहररि, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर
- 13— जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग नरसिंहपुर की ओर कार्यविभाजन आदेश जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

हेतु— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
नरसिंहपुर



**कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)**

**// कार्य विभाजन आदेश //**

क्रमांक- .....2...../एक-11-1/80

नरसिंहपुर, दिनांक- 07.05.2026

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा इस जिला स्थापना एवं तहसील स्थापना गाडरवारा तथा गोटेगांव में नवीन न्यायिक अधिकारीगण के स्थानांतरण एवं पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप :-

मैं, अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21(4), एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (7) ,214, 422 (7) 448, के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के पालन में पूर्ववर्ती समस्त कार्यविभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुये सिविल जिला नरसिंहपुर में स्थापित सिविल न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय दीवानी मामलों के कार्य विभाजन के संबंध में एवं अपर सत्र खण्ड के अंतर्गत आपराधिक मामलों के कार्य विभाजन के संबंध में निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूं, जो कि तत्काल प्रभाव से समस्त सिविल जिला नरसिंहपुर में प्रभावशील होगा :-

**नरसिंहपुर**

| क.  | न्यायालय का नाम                                                      | क्षेत्राधिकार                                       | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,<br>नरसिंहपुर<br>(श्री अखिलेश शुक्ला) | अ- संपूर्ण<br>सत्र खण्ड<br>नरसिंहपुर                | 1- सत्र प्रकरण।<br>2- नरसिंहपुर एवं गोटेगांव स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण।<br>3- नरसिंहपुर एवं गोटेगांव स्थित न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपीलें।<br>4- धारा 448 बी.एन.एस.एस., 2023 (धारा 408 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी आवेदन।<br>5- अन्य ऐसे समस्त प्रकरण जो किसी विधान के अंतर्गत केवल सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य हों।<br>6- नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव से उत्पन्न धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त जमानत आवेदन पत्र।<br>7- सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष मामले।<br>8- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत दण्ड याचिकायें।<br>9- उक्त प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। |
|     |                                                                      | ब-सिविल<br>नरसिंहपुर<br>करेली<br>गोटेगांव<br>तहसील। | 1- सम्पूर्ण जिला नरसिंहपुर के भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न वाद।<br>2- साम्पातिक वाद, जिनका मूल्य 100000000/- (दस करोड़) से अधिक हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| क.  | न्यायालय का नाम | क्षेत्राधिकार | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                 |               | <p>3- म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।</p> <p>4- धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरणों के अंतरण से संबंधित आवेदन।</p> <p>5- लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्यधारियों से निष्कासन) (एविकशन ऑफ अन-अथराईज्ड आक्यूपेंट) अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपीलें।</p> <p>6- <b>पुलिस थाना करेली एवं सुआतला</b> क्षेत्रान्तर्गत घटित <b>मोटर दुर्घटना</b> से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>7- नरसिंहपुर एवं गोटेगांव स्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विविध सिविल अपीलें।</p> <p>8- नरसिंहपुर एवं गोटेगांव स्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध रेगुलर सिविल अपीलें।</p> <p>9- रेन्ट कन्ट्रोलिंग अथारिटी नरसिंहपुर के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>10- म0प्र0 पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 262 के अंतर्गत रिफरेंस।</p> <p>11- समस्त आवेदनपत्र/अपीलें/रिफरेंस, जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हों, जिन्हें अन्य न्यायालयों को आवंटित न किया गया हो।</p> <p>12- नगरपालिका अधिनियम से संबंधित (टैक्स से) अपील प्रकरण। समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर द्वारा शासन के विरुद्ध पारित अस्थाई निषेधाज्ञा/डिक्री/निर्णय से उत्पन्न विविध एवं नियमित समस्त अपीलें।</p> <p>13- आदेश 21 नियम 08 सी.पी.सी. के अंतर्गत बाहर से आने वाली समस्त इजराय/टी.सी.।</p> <p>14- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 (ख) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के लिए अधोसरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में संपूर्ण जिला नरसिंहपुर क्षेत्राधिकार के दावे।</p> <p>15- ग्राम न्यायालय, नरसिंहपुर से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील।</p> |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                                                                   | क्षेत्राधिकार                                                         | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                       | <p>16- खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम से संबंधित अपील प्रकरण।</p> <p>17- संपूर्ण जिला नरसिंहपुर के अन्य ऐसे सिविल प्रकरण जिनका श्रवणाधिकार क्षेत्र इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत अन्य न्यायालयों को प्रदत्त नहीं किया गया हो।</p> <p>18- उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>19- बाह्य न्यायालयों से अंतरित निष्पादन प्रकरण।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | श्री मनोज कुमार लढ़िया,<br>विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं<br>प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश<br>नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम<br>अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर | <b>सत्र खण्ड<br/>नरसिंहपुर</b>                                        | <p>1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र एवं प्रथम रिमांड से लेकर समस्त कार्यवाहियां। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के ऐसे प्रकरण जिनमें पॉक्सो अधिनियम की धारा सम्मिलित है, को छोड़कर)</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।</p> <p>3- उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र<br>न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप)                                                                                        | <b>अ- सत्र<br/>खण्ड</b><br><br><b>ब-सिविल<br/>नरसिंहपुर<br/>तहसील</b> | <p>1- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल वाद, अपीलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>1- एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला।</p> <p>2- आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।</p> <p>3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।</p> <p>5- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक।</p> <p>6- भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।</p> <p>7- प्राविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे /याचिकायें।</p> <p>8- पुलिस थाना स्टेशनगंज एवं गोटेगांव क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>9- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                      | क्षेत्राधिकार | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                  | (3)           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                      |               | <p>10- तहसील करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह एवं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत एवं वैवाहिक मामलों से संबंधित समस्त प्रस्तुत दावे।</p> <p>11- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पृष्ठांकन क. सी/1827 दिनांक 01.03.2025 में संशोधन उपरांत इस न्यायालय में प्रस्तुत हिंदू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध अनुशांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>11- तहसील, करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही एवं प्रोवेट प्रकरण।</p> <p>12- अन्य जिले से आने वाले निष्पादन प्रकरण।</p> <p>नोट- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पृष्ठांकन क. सी/1827 दिनांक 01.03.2025 में संशोधन पूर्व के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां पूर्ववत् कुटुम्ब न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगी।</p> <p>नोट- पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> |
| 4   | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर तथा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) नरसिंहपुर। (श्रीमती ज्योति मिश्रा) | सत्र खण्ड     | <p>1- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012" से संबंधित प्रथम रिमाण्ड से लेकर समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>4- जिला नरसिंहपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ पाक्सो अधिनियम की धारा सम्मिलित है, की प्रथम रिमाण्ड से लेकर समस्त कार्यवाहियां, संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>5- किशोर न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 के अंतर्गत स्थापित बालक न्यायालय से संबंधित कार्य।</p> <p>6- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत बाल लैंगिक अपराधों के प्रकरणों के चालान एवं जमानत आवेदन पत्र सीधे अधिसूचित न्यायालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत होंगे।</p> <p>7- उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण।</p> <p>8- समय-समय पर अंतरित प्रकरण, अपील एवं जमानत आवेदनपत्र।</p> <p>9- पूर्व में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (पाक्सो</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| क.  | न्यायालय का नाम | क्षेत्राधिकार                            | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                 |                                          | न्यायालय) द्वारा ऐसे निर्णीत आपराधिक प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित सत्र प्रकरण जिनकी सुनवाई की अधिकारिता वर्तमान कार्य विभाजन आदेश में उन्हें प्रदत्त नहीं की गई है, से उद्भूत विविध प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                 | <b>ब- सिविल करेली एवं गोटेगांव तहसील</b> | <p>1- एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला।</p> <p>2- आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।</p> <p>3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।</p> <p>5- लघुवाद दावे रू० 501 से 1000 तक।</p> <p>6- प्रांविशियल इन्सालवेशी एक्ट के अंतर्गत दावे/याचिकायें।</p> <p>7- निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>8- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>9- <b>पुलिस थाना कोतवाली, ठेमी एवं मुंगवानी</b> क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>10- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>11- भूमि अधिग्रहण/भू-अर्जन संबंधित समस्त रेफरेंस व अपील प्रकरण।</p> <p>12- <b>प्रथम/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर</b> द्वारा निराकृत सिविल वादों/मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण अथवा उक्त न्यायालयों के आदेश/निर्णय से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, तथा चेक भुगतान की कार्यवाहियां।</p> <p><b>नोट-</b> चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                                                                  | क्षेत्राधिकार                                                              | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                              | (3)                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) व विशेष न्यायाधीश (एन.डी. पी.एस.एक्ट), नरसिंहपुर<br><b>(श्री आलोक मिश्रा)</b> | <b>अ- सत्र खण्ड नरसिंहपुर</b>                                              | <p>1- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>3- न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व में निर्णीत आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई की अधिकारिता वर्तमान कार्य विभाजन आदेश में प्रदत्त नहीं की गई है, से उद्भूत विविध प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>4- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2015 से संबंधित प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5- स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम से उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>6- पूर्व में विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) नरसिंहपुर की न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> <p>7- उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण।</p> |
| 6.  | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर तथा विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम,                                                                                |                                                                            | <b>रिक्त न्यायालय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर तथा विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम,<br><b>रिक्त न्यायालय</b>                                                         | <b>अ- सत्र खण्ड</b>                                                        | 1- <b>भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र, (गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के विद्युत क्षेत्र को छोड़कर)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर<br><b>(श्री राकेश सनोडिया)</b>                                                         | <b>सत्र खण्ड</b>                                                           | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 450 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.  | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर<br><b>(श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव)</b><br><b>मातृत्व अवकाश पर दिनांक 04.09.</b>    | "नरसिंहपुर, गोटेगांव एवं करेली तहसील की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                                                                                             | क्षेत्राधिकार                             | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                         | (3)                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 2026 तक                                                                                                                                                                                     | वाली पंचायत / जनपद पंचायत।"               | <b>3- किशोर न्याय बोर्ड(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले नरसिंहपुर जिले से उद्भूत समस्त प्रकरण।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नरसिंहपुर (सुश्री रिचा जैन) | नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव तहसील       | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- तहसील नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो।</p> <p align="center"><b>( 08 मई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक)</b></p> <p>4- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रु0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक।</p> <p>5- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने के आवेदन पत्र।</p> <p>6- प्राविसियल इन्सालवेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण रुपये पचास हजार तक।</p> <p>7- ग्रामीण नगर पंचायत के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण धारा- 31 (ख) म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996.</p> <p><b>8- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लेख किये गये ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।</b></p>                           |
| 11. | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (श्री धर्मेन्द्र नागवंशी)                                                                                   | सिविल नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव तहसील | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- तहसील नरसिंहपुर, करेली एवं गोटेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो।</p> <p align="center"><b>(01 सितम्बर 2026 से आगामी आदेश होने तक)</b></p> <p>4- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रु0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक।</p> <p>5- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने के आवेदन पत्र।</p> <p>6- प्राविसियल इन्सालवेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण रुपये पचास हजार तक।</p> <p>7- पूर्व में तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त</p> |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                         | क्षेत्राधिकार          | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                     | (3)                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                         |                        | आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर<br>(श्रीमति प्रमिला राय)               | नरसिंहपुर, करेली तहसील | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण।</p> <p>2- तहसील नरसिंहपुर एवं करेली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये मूल्य तक के हो। (08 मई 2026 से 30 जून 2026 तक)</p> <p>3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दौ सौ तक।</p> <p>4- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> <p><b>नोट- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (रिक्त न्यायालय) की न्यायालय के व्यवहार वाद से संबंधित समस्त अनुशांगिक कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</b></p> |
| 13. | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती ऐश्वर्या जैन) | नरसिंहपुर, करेली तहसील | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण।</p> <p>2- तहसील नरसिंहपुर एवं करेली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये मूल्य तक के हो। (01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक)</p> <p>3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दौ सौ तक।</p> <p>4- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्रीमती सीमा धाकड़)                                                    |                        | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- तहसील नरसिंहपुर एवं करेली के क्षेत्राधिकार से</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                          | क्षेत्राधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये मूल्य तक के हो। (01 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्री दिव्यांश लोवंशी)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1— प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2— आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार ।</p> <p>3— तहसील नरसिंहपुर एवं करेली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये मूल्य तक के हो। (01 नवम्बर 2025 से आगामी आदेश होने तक)</p> |
|     | <b>तहसील गाडरवारा</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16. | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा।<br>(श्री राजेश कुमार तिवारी) | <p><b>अ- सत्र खण्ड</b></p> <p>1— सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2— लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरणों तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-482, 483 भा.ना.सु.सं.।</p> <p>3— तहसील गाडरवारा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलों एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र ।</p> <p>4— तहसील तेंदूखेड़ा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5— थाना-गाडरवारा, साईंखेड़ा एवं करेली (वे क्षेत्र जो गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 482, 483 भा.ना.सु.सं. एवं आबकारी अधिनियम एवं खनिज अधिनियम व वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>6— तहसील तेन्दूखेड़ा में पूर्व में पदस्थ रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलों एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>7— तहसील गाडरवारा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8— ग्राम न्यायालय गाडरवारा के निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीलों एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> | <p><b>ब- सिविल गाडरवारा व तेंदूखेड़ा</b></p> <p>1— एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला।</p>                                                                                                                                                                                                     |

| क.  | न्यायालय का नाम | क्षेत्राधिकार | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                 | तहसील         | <p>2— आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।</p> <p>3— इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण एवं म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4— भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।</p> <p>5— लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक।</p> <p>6— भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।</p> <p>7— प्राविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे/याचिकायें।</p> <p>8— म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।</p> <p>9— <b>पुलिस थाना पलोहा एवं चीचली क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना</b> से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p>10— म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>11— पूर्व में प्रथम जिला न्यायाधीश गाडरवारा के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों/मोटर दावा प्रकरणों अन्य याचिकाओं में पारित आज्ञाप्तियों, आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>12— लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक।</p> <p>13— ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हों।</p> <p>14— पूर्व में प्रथम जिला न्यायाधीश गाडरवारा की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> <p>15— प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल वाद, अपीलों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p><b>नोट— चतुर्थ/पंचम जिला न्यायाधीश, गाडरवारा की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण तथा माननीय</b></p> |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                               | क्षेत्राधिकार | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                           | (3)           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                               |               | उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा।<br>(श्रीमती संतोषी वासनिक) | अ- सत्र खण्ड  | <p>1- तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन तथा विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>3- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं., 2023.</p> <p>4- थाना-चीचली, तेन्दूखेड़ा, जी.आर.पी. गाडरवारा एवं सुआतला (वे क्षेत्र जो गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा तहसील के अंतर्गत आते हैं), क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-482, 483 भा.ना.सु.सं., 2023.</p> <p>5- क्षेत्र-गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा तहसील में घटित घटना के संबंध में महिला थाना नरसिंहपुर में पंजीबद्ध हुये अपराधों से संबंधित धारा-482, 483 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>6- थाना चीचली, तेन्दूखेड़ा, जी.आर.पी. गाडरवारा एवं सुआतला (वे क्षेत्र जो गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न आबकारी अधिनियम एवं खनिज अधिनियम व वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> |
|     |                                                                               | ब- सिविल      | <p>1- इस न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादो/मोटर दावा प्रकरणों अन्य याचिकाओं में पारित आज्ञाप्तियों, आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के आज्ञाप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>3- ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हों।</p> <p>4- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                         | क्षेत्राधिकार       | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                         |                     | <p>5- चतुर्थ जिला न्यायाधीश द्वारा निराकृत सिविल वादों/ मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>6- <b>पुलिस थाना गाडरवारा एवं डोंगरगांव</b> क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18  | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा                             |                     | <b>रिक्त न्यायालय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा                            |                     | <b>रिक्त न्यायालय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. | षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा<br>(श्री रामप्रकाश अहिरवार) | <b>अ- सत्र खण्ड</b> | <p>1- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक अपील, पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल वाद, अपीलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>3- <b>भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र, गाडरवारा तथा तेन्दूखेड़ा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित।</b></p> <p>4- थाना डोंगरगांव एवं पलोहा क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-482, 483 भा.ना.सु.सं.।</p> <p>5- थाना डोंगरगांव एवं पलोहा क्षेत्र से उत्पन्न आबकारी अधिनियम एवं खनिज अधिनियम व वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                         | <b>ब- सिविल</b>     | <p>1- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा के आज्ञापतियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>2- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड तेन्दूखेड़ा/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, द्वारा पारित आज्ञापतियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>3- तहसील स्थापना गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित समस्त अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड गाडरवारा के आज्ञापतियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>4- निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, अन्य याचिकाओं में पारित आज्ञापतियों, आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>5- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>6- तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम /हिन्दू अव्यस्कता संरक्षण अधिनियम हिन्दू दत्तक एवं भरण</p> |

| क्र.                           | न्यायालय का नाम                                                                                                   | क्षेत्राधिकार     | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                            | (2)                                                                                                               | (3)               | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21.                            | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा।<br>(श्री विनय सोनी)              | गाडरवारा तहसील    | <p>1- जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> <p>3- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश/ द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा निराकृत किये गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>4- तहसील गाडरवारा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये मूल्य तक के हो।</p> <p>5- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रु0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक।</p> <p><b>नोट-</b> तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड गाडरवारा (रिक्त न्यायालय) की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> |
| <b><u>तहसील तेंदूखेड़ा</u></b> |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.                            | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड तेन्दूखेड़ा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तेन्दूखेड़ा<br>(श्री अरविन्द मीना) | तेन्दूखेड़ा तहसील | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रु0 दो सौ एक से पांच सौ रुपये तक।</p> <p>3- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> <p>5- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा/ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं श्रृंखला न्यायालय तेन्दूखेड़ा की न्यायालय द्वारा</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| क.  | न्यायालय का नाम                                                                                                                                            | क्षेत्राधिकार                                                                               | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                        | (3)                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                             | <p>पोषण अधिनियम/इंडियन डायवोर्स एक्ट/स्पेशल मेरिज एक्ट/गार्जियनशिप एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें एवं प्रोवेट प्रकरण।</p> <p><b>7- पुलिस थाना तेंदूखेड़ा एवं साईंखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत घटित मोटर दुर्घटना</b> से संबंधित दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं उनसे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।</p> <p><b>नोट-</b> तृतीय जिला न्यायाधीश, गाडरवारा की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां।</p> |
| 23  | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गाडरवारा<br>(श्री अजय सिंह यादव) | तहसील गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत/जनपद पंचायत | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लेख किये गये ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4- ग्रामीण न्याय पंचायत के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध अपीलें पुनरीक्षण धारा-31(ख) म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996</p> <p>5- <b>तहसील गाडरवारा</b> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो।</p> <p>6- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दो सौ एक से पांच सौ रुपये तक।</p>                                                                                              |
| 24  | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा।<br>(सुश्री कृतिका सिंह)                                        | सिविल तेंदूखेड़ा तहसील                                                                      | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- <b>तहसील तेंदूखेड़ा</b> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सिविल वाद जिनका मूल्य पाँच लाख एक रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्य तक के हो।</p> <p>4- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दो सौ एक से पांच सौ रुपये तक।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| क.         | न्यायालय का नाम                                                                                      | क्षेत्राधिकार  | वादों/प्रकरणों का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                                                                                  | (3)            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                      |                | निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>तहसील गोटेगांव</b>                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.<br>25. | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोटेगांव<br>(सुश्री साक्षी शुक्ला) | गोटेगांव तहसील | 1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।<br>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रु0 दो सौ एक से पांच सौ रुपये तक।<br>3- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।<br>4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार। |

### टिप्पणी :-

1- सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र, जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया हो, उसी न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही उसी अपराध से संबंधित अन्य आरोपीगण के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र भी उसी सत्र न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे। जिस न्यायालय द्वारा सह-आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत अंतर्गत धारा-482, 483 बी.एन.एस.एस., 2023 के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया है। उक्त सभी जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। परन्तु लंबित सत्र प्रकरणों में सह आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का निराकरण विचारण न्यायालय जिनके यहाँ सत्र प्रकरण लंबित है, के द्वारा किया जावेगा।

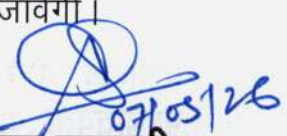
2- किसी भी अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा यदि किसी एक अपराध कमांक के एक आरोपी का पूर्व में जमानत आवेदन पत्र धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस., 2023 यदि निराकृत किया गया हो और उक्त **अपर सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का थाना कार्य विभाजन से परिवर्तित हो गया हो तब भी** उसी अपराध कमांक से संबंधित पूर्व में जिस आरोपी का जमानत आवेदन पत्र जिन अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त किया हो या निराकृत किया गया हो उस आरोपी का पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र अथवा उसी अपराध से संबंधित मामले में प्रस्तुत अन्य सहआरोपी का जमानत आवेदन पत्र उसी अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निराकृत किया जावेगा जिसने पूर्व में अपराध कमांक के सहआरोपी के आवेदन पत्र का निराकरण किया हो।

**परंतु यदि मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होकर सत्र प्रकरण के रूप में मामला पंजीबद्ध होने पर ऐसे सत्र प्रकरण में ऐसे सहआरोपी का जमानत आवेदन पत्र या पश्चातवर्ती आवेदन पत्र उसी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा जिसके समक्ष सत्र प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है।**

3- विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम, विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा विशेष न्यायालय(पाक्सो अधिनियम) के प्रकरणों का

पंजीयन संबंधित विशेष न्यायालय में दायरा पंजी रखी जाकर पंजीयन किया जावेगा। इसी प्रकार इन विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में सीधे पेश किये जावेंगे।

- 4- अवकाश के दौरान विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम तथा विशेष न्यायालय (पाक्सो) अधिनियम के प्रकरणों से संबंधित प्रथम रिमाण्ड अवकाश के दौरान रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- 5- रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित समस्त कार्य जिला रजिस्ट्रार, नरसिंहपुर द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 6- लोक अदालत की खंडपीठ द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण उसी खंडपीठ द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा प्रकरण निराकृत किया गया है।
- 7- मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **तृतीय जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती ज्योति मिश्रा) द्वारा संपादित की जावेगी।**
- 8- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम जिला न्यायाधीश, गाडरवारा (श्री राजेश कुमार तिवारी) द्वारा संपादित की जावेगी।**
- 9- मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (श्री धर्मेन्द्र नागवंशी) द्वारा संपादित की जावेगी।**
- 10- मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (श्रीमती सीमा धाकड़) द्वारा संपादित की जावेगी।**
- 11- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्री अजय सिंह यादव) द्वारा संपादित की जावेगी।**
- 12- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्री विनय सोनी) द्वारा संपादित की जावेगी।**

  
07/05/26  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
नरसिंहपुर.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

## // विविध आदेश //

क्रमांक- ८८/एक-2-1/77

नरसिंहपुर, दिनांक- 07.05.2026

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जिला मुख्यालय नरसिंहपुर, तहसील स्थापना गाडरवारा में नवीन न्यायिक अधिकारीगण की पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप जिला मुख्यालय नरसिंहपुर, तहसील स्थापना गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव के न्यायालयों के न्यायाधीशगण के अवकाश/अनुपस्थिति/अस्थाई रिक्ति की स्थिति में उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कार्य के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुये प्रभार सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

### प्रभार सूची

| क्रं. | न्यायालय                                                                                                                                         | प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय                                                                                                                        | द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय                                                   | तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                |
| 1     | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्री अखिलेश शुक्ला)                                                                                 | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश<br>(श्री मनोज कुमार लढ़िया) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्री आलोक मिश्रा)                                                                           |
| 2     | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर<br>(श्री विपिन कुमार लावनिया)                                                                      | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश<br>(श्री मनोज कुमार लढ़िया) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्री आलोक मिश्रा)                                                                          |
| 3     | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश<br>(श्री मनोज कुमार लढ़िया) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप)                                                                    | तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती ज्योति मिश्रा)  | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्री आलोक मिश्रा)                                                                           |
| 4     | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्री आलोक मिश्रा)                                                                           | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप)                                                                    | तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती ज्योति मिश्रा)  | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश<br>(श्री मनोज कुमार लढ़िया) |
| 5     | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती कीर्ति कश्यप)                                                                    | तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर<br>(श्रीमती ज्योति मिश्रा)                                                                     | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर<br>(श्री आलोक मिश्रा)        | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश<br>(श्री मनोज कुमार लढ़िया) |

[illegible]

| क्रं. | न्यायालय | प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय | द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय | तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                           | 5                         |

### तहसील गाडरवारा

|    |                                                                              |                                                                              |                                                                                                           |                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 15 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्री राजेश कुमार तिवारी) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्रीमती संतोषी वासनिक) | षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा<br>(श्री रामप्रकाश अहिरवार)                              | —                                                                          |
| 16 | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्रीमती संतोषी वासनिक) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्री राजेश कुमार तिवारी) | षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा<br>(श्री रामप्रकाश अहिरवार)                              | —                                                                          |
| 17 | षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा<br>(श्री रामप्रकाश अहिरवार) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्री राजेश कुमार तिवारी) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा<br>(श्रीमती संतोषी वासनिक)                              | —                                                                          |
| 18 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा<br>(श्री अजय सिंह यादव)          | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(सुश्री कृतिका सिंह)       | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्री राकेश सनोडिया)                                      | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर<br>(श्री धर्मेन्द्र नागवंशी) |
| 19 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(सुश्री कृतिका सिंह)       | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा<br>(श्री अजय सिंह यादव)          | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश<br>(सुश्री ऋचा जैन) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्री राकेश सनोडिया)       |
| 20 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(श्री विनय सोनी)             | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(सुश्री कृतिका सिंह)       | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा<br>(श्री अजय सिंह यादव)                                       |                                                                            |

### तहसील तेंदूखेड़ा

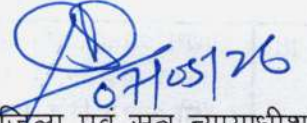
|    |                                                                                                             |                                                                  |                                                                        |                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 21 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेंदूखेड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश<br>(श्री शिव कांत कुशवाहा) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(श्री विनय सोनी) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा<br>(सुश्री कृतिका सिंह) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा<br>(श्री अजय सिंह यादव) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### तहसील गोटेगांव

|    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                       |                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव<br>(सुश्री साक्षी शुक्ला)         | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव<br>(श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया) | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्रीमती सीमा धाकड़)  | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्री दिव्यांश लोवंशी) |
| 23 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव<br>(श्रीमती प्रियंवदा एस. राजोरिया) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव<br>(सुश्री साक्षी शुक्ला)         | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्री दिव्यांश लोवंशी) | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर<br>(श्रीमती सीमा धाकड़)  |

नोट:-

- 1- स्तम्भ क्रमांक- 2,3,4 एवं 5 में दर्शित न्यायालय के अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने से मुख्यालय/तहसील **मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी** द्वारा आवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- 2- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा के अवकाश अवधि में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री आलोक मिश्रा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर** संपादित करेंगे।
- 3- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के अवकाश अवधि में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्रीमती संतोषी वासनिक, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा** संपादित करेंगे।
- 4- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में समस्त व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा के अवकाश अवधि में उनकी न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर** संपादित करेंगे।
- 5- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में समस्त व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के अवकाश अवधि में उनकी न्यायालयों के संपूर्ण कार्य **श्री अजय सिंह यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा** संपादित करेंगे।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
नरसिंहपुर.

m/m/101